रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 605] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 9, 2011/कार्तिक 18, 1933
No. 605] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 2011/KARTIKA 18, 1933

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 798(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 5 के साथ पठित धारा 24 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 150 वर्ष" के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए एक सौ पचास रुपए और पांच रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. मानक वजन तथा अनुज्ञात उपचार.—सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 4 के उपबंधों के अधीन "भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 150 वर्ष" के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए 150 ₹ और 5 ₹ अंकित मूल्य के सिक्कों का मानक वजन और अनुज्ञात उपचार और ऐसे सिक्कों को बनाने में अनुज्ञात उपचार नीचे सारणी में यथाविनिर्दिष्ट रूप में होगा, अर्थात् :—

सारणी

अंकित मूल्य	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संघटन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ पचास रुपए	35 ग्राम	चांदी में 1/500 कम या ज्यादा अर्थात् चांदी में प्रति 1000 में 498 से 502 तक का अंतर हो सकेगा ।	1/100 कम या ज्यादा अर्थात् वजन में 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम तक का अंतर हो सकता है।

(1)	(2)	(3)	(4)
पांच रुपए	6 ग्राम	तांबा और जस्ता के लिए 1/100 कम या ज्यादा अर्थात् तांबे में 74% से 76% तक और जस्ते में 19% से 21% तक का अन्तर हो सकता है और निकैल के लिए 1/200 तक कम या ज्यादा अर्थात् निकैल में 4.5% से 5.5% तक का अंतर हो सकता है ।	1/40 तक कम या ज्यादा अर्थात् वजन में 5.85 ग्राम से 6.15 ग्राम तक का अंतर हो सकता है ।

[फा. सं. 2/13/2011-सिक्का]

अरुण सोबती, अवर सचिव (सी एंड सी)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2011

G.S.R. 798(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24, read with Section 5 of the Coinage Act, 2011 (11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement .— (1) These rules may be called the Coinage of the One Hundred Fifty Rupees and Five Rupees coined to Commemorate the occasion of "150th years of the Comptroller and Auditor General of India" Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Standard weight and remedy allowed.—Standard weight and remedy allowed on coins of certain denominations, coined to commemorate the occasion of "150th year of the Comptroller and Auditor General of India", under the provision of Section 4 of the Coinage Act, 2011 (11 of 2011) and the remedy allowed in making of such coins shall be as specified in the Table given below :—

TABLE

Denomination	Standard Weight	Remedy Allowed	
		In Composition	In Standard Weight
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Fifty Rupees	35 Grams	1/500th plus or minus for Silver, that is to say, the Silver content may vary from 498 to 502 per 1000	1/100th plus or minus, that is to say, the weight could vary from to 34.65 gram 35.35 grams.
Five Rupees	6 Grams	1/100th plus or minus for Copper and Zinc, that is to say, Copper could vary from 74% to 76% and Zinc from 19% to 21% and 1/200th plus or minus for nickel that is to say nickel could vary from 4.5% to 5.5%.	1/40th plus or minus that is to say, the weight could vary from 5.85 grams to 6.15 grams.

[F. No. 2/13/2011-Coin]

ARUN SOBTI, Under Secy. (C and C)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2098] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 9, 2011/कार्तिक 18, 1933
No.2098] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 2011/KARTIKA 18, 1933

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2011

का.आ. 2512(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अवधारित करती है कि :—

(क) "**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 150 वर्ष**" के अवसर का स्मरणोत्सव मनाने के लिए केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए टकसाल में निम्नलिखित अंकित मूल्य के सिक्कों का निर्माण भी किया जाएगा, अर्थात् :—

(1) एक सौ पचास रुपये ;

(2) पांच रुपये ;

(ख) उपरोक्त अंकित मूल्य के सिक्के, निम्नलिखित विमाओं, डिजाइन और संघटन के अनुरूप होंगे, अर्थात् :—

सिक्के का अंकित मूल्य	आकृति और बाह्य व्यास	क्रकचनों की संख्या	धातु संघटन
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ पचास रुपए	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	**चतुर्थक मिश्रधातु** चांदी - 50% तांबा - 40% निकैल - 5% जस्ता - 5%
पांच रुपए	वृत्ताकार 23 मिलीमीटर	100	**निकैल पीतल** तांबा - 75% जस्ता - 20% निकैल - 5%

डिजाइन

1. एक सौ पचास रुपये

मुख भाग

सिक्के के मुख भाग पर अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे **''सत्यमेव जयते''** इबारत अंतर्लिखित होगी, उसकी बांई ऊपरी परिधि पर देवनागरी में **''भारत''** शब्द और दांई ऊपरी परिधि पर अंग्रेजी में ''INDIA'' शब्द होगा । इस पर सिंह शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक ''₹'' और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य ''150'' भी होगा ।

पृष्ठ भाग

सिक्के के इस भाग पर मध्य में, **''भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक''** का लोगो होगा और देवनागरी में बांई ऊपरी परिधि पर **''भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक''** शब्द होंगे । अंग्रेजी में दांई ऊपरी परिधि पर ''COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA'' शब्द होंगे । लोगो के नीचे ''1860-2010'' अंतर्राष्ट्रीय अंकों में भी लिखा होगा।

2. पांच रुपये

मुख भाग

सिक्के के मुख भाग पर अशोक स्तम्भ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे **''सत्यमेव जयते''** इबारत अंतर्लिखित होगी, उसकी बांई ऊपरी परिधि पर देवनागरी में **''भारत''** शब्द और दांई ऊपरी परिधि पर अंग्रेजी में ''INDIA'' शब्द होगा । इस पर सिंह शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक ''₹'' और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य ''5'' भी होगा ।

पृष्ठ भाग

सिक्के के इस भाग पर मध्य में, **''भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक''** का लोगो होगा और देवनागरी में बांई ऊपरी परिधि पर **''भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक''** शब्द होंगे। अंग्रेजी में दांई ऊपरी परिधि पर **''COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA''** शब्द होंगे । लोगो के नीचे ''1860-2010'' अंतर्राष्ट्रीय अंकों में भी लिखा होगा।

[फा. सं. 2/13/2011/सिक्का]

अरुण सोबती, अवर सचिव (सी एंड सी).

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2011

S.O. 2512(E).— In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Coinage Act, 2011 (11 of 2011), the Central Government hereby determines that :—

(a) the coins of the following denominations shall also be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government to commemorate the occasion of **"150th year of the Comptroller and Auditor General of India"**, namely :—

(1) One Hundred Fifty Rupees;

(2) Five Rupees;

(b) the coins of the above denominations shall conform to the following dimensions, designs and composition, namely :—

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of Serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Fifty Rupees	Circular 44 millimeters	200	**Quaternary Alloy** Silver - 50 % Copper - 40 % Nickel - 5 % Zinc - 5 %
Five Rupees	Circular 23 millimeters	100	**Nickel Brass** Copper - 75% Zinc - 20% Nickel - 5%

DESIGNS

1. One Hundred Fifty Rupees

Obverse

The face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar with the legend "सत्यमेव जयते" inscribed below, flanked on the left periphery with the word "भारत" in Devnagri and on the right periphery flanked with the word "INDIA" in English. It shall also bear the Rupee symbol "₹" and denominational value "150" in International Numerals below the Lion Capitol.

Reverse

The face of the coin shall bear the Logo of "Comptroller and Auditor General of India" in the centre, flanked on the left periphery with the word "भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक" in Devnagari and on the right periphery with the word "COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA" in English and the year "1860-2010" written in International Numerals on the bottom of Logo.

2. Five Rupees

Obverse

The face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar with the legend "सत्यमेव जयते" inscribed below, flanked on the left periphery with the word "भारत" in Devnagri and on the right periphery flanked with the word "INDIA" in English. It shall also bear the Rupee symbol "₹" and denominational value "5" in International Numerals below the Lion Capitol.

Reverse

The face of the coin shall bear the Logo of "Comptroller and Auditor General of India" in the centre, flanked on the left periphery with the word "भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक" in Devnagari and on the right periphery with the word "COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA" in English and the year "1860-2010" written in International Numerals on the bottom of Logo.

[F. No. 2/13/2011-Coin]

ARUN SOBTI, Under Secy. (C and C)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1180] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 22, 2012/आषाढ़ 1, 1934
No. 1180] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 22, 2012/ASADHA 1, 1934

IndiaCode

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

का.आ. 1409(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित "भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के 150 वर्ष" के संबंध में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 2512(अ), दिनांक 9 नवम्बर, 2011 में पृष्ठ सं. 2 पर, पंक्ति 5 में "सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 4", के स्थान पर "सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 6" पढ़ें।"

[फा. सं. 2/13/2011-सिक्का]

अरुण सोबती, अवर सचिव (सी एंड सी)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th June, 2012

S.O. 1409(E).—In the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Notification No. S.O. 2512(E) dated the 9th November, 2011 relating to "150th Year of the Comptroller and Auditor General of India" published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), at page 2, in line 5, for "Section 4 of the Coinage Act, 2011 (11 of 2011)", read "Section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906)".

[F. No. 2/13/2011-Coin]

ARUN SOBTI, Under Secy. (Coin & Currency)

2256 GI/2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 22, 2012/आषाढ़ 1, 1934
No. 298] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 22, 2012/ASADHA 1, 1934

IndiaCode

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

सा.का.नि. 494(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित "भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के 150 वर्ष" के संबंध में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना सं. सा.का. नि. 798(अ) दिनांक 9 नवम्बर, 2011 में, पृष्ठ सं. 2 पर—

(i) पंक्ति 5 और 6 में, "सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 5 के साथ पठित धारा 24 की उप-धारा (1)", के लिए "सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 7 के साथ पठित धारा 21 की उप-धारा (1)", पढ़ा जाए ।

(ii) पंक्ति 13 में, "सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 4" के लिए "सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 6" पढ़ा जाए ।

[फा. सं. 2/13/2011-सिक्का]

अरुण सोबती, अवर सचिव (सी एंड सी)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th June, 2012

G.S.R. 494(E).—In the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Notification No. G.S.R. 798(E) dated the 9th November, 2011 relating to "150th year of the Comptroller and Auditor General of India" published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (i), at page 2,—

(i) In lines 5 and 6, for "sub-section (1) of section 24, read with Section 5 of the Coinage Act, 2011 (11 of 2011)", read "sub-section (1) of section 21, read with section 7 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906)";

(ii) In line 13, for "Section 4 of the Coinage Act, 2011 (11 of 2011)", read "section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906)".

[F. No. 2/13/2011-Coin]

ARUN SOBTI, Under Secy. (Coin & Currency)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.